न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 26/2022
GCMS NO. : 2022/049

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. सुगनाराम पुत्र मलाराम 2. सन्तोष पत्नी सुगनाराम जाति- माली, निवासी आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण, जिला- पाली।		1. बगदाराम पुत्र मलाराम 2. सोहनी देवी पत्नी मलाराम जाति- माली निवासी आनन्दपुर कालू, तहसील- जैतारण, जिला- पाली। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील कार्यालय जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:-14.02.2022**

उपस्थितः- 1.. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 17/08/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू चक नम्बर द्वितीय में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा अन्य सहखातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की जमीन खसरा संख्या 777/1 रकबा 0.8256 हैक्टर यानि 05-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त जमीन का मोके पर पक्षकारान् के आपस में बंट किए हुए है मौक पर नजरी नक्शा बनाकर दावा/प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसको दावे/प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। मुतनाजा जमीन बस्सी से लाम्बिया जाने वाली सड़क पर आई हुई है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 के आपस में किसी बात को लेकर अनबन होने से आए दिन माठ को लेकर अप्रार्थी संख्या 01 विवाद करता है प्रार्थीगण अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 बंटवाड़ा करने से मना करता है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्स्से में से 1/12 हिस्से की जमीन लिखमाराम को सन् 2010 में बैचान कर रजिस्ट्री करवा दी। इसलिए मौके पर आये दिन विवाद करता है। प्रार्थी संख्या 01 बेरोजगार व्यक्ति है प्रार्थी के पास जीवन निर्वाह करने के लिए [illegible] नहीं है इसलिए उक्त जमीन का बंटवाड़ा करवाकर अपने हि[illegible] चाहता है बिना बंटवाड़ा कराये जमीन का वाणिज्यिक प्रयोजन [illegible] रूपान्तरण भी [illegible] करवा सकता है और न बैंक से ऋण ले सकता है और [illegible]पने हिस्से की ज[illegible] का सुधार भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:51:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नही करवा सकता इसलिए मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। मुतनाजा जमीन का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक वादी कोई कार्य नही कर सकता है यदि प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा होकर अलग नही होने से प्रार्थीगण को असीम नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थीगण बेरोजगार होने व अनपढ होने से होटल के अलावा कोई कार्य नही कर सकता और अपने परिवार का पालन पोषण भी नही कर सकता इसलिए मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कर तरमीम किया जाना जरूरी है। उक्त मुतनाजा भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बहूत ही मजबूत है एवं अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी संख्या 01 की माता है जिसकी प्रार्थी संख्या 01 सेवा चाकरी करता आ रहा है उक्त मुतनाजा जमीन अप्रार्थी संख्या 02 को बैचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी संख्या 02 के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम भूमि पर दोनो पुत्रो का समान अधिकार है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 उक्त आराजी का विशिष्ट भू भाग बिना बंटवाड़ा किए ही बैचान, रहन, वसीयत आदि कर देंगे तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगा, एवं प्रार्थी को असीम हानि होगी एवं विविध प्रकार की मुकदमेंबाजी करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थी जेरबार होगा। प्रार्थी को अपूर्णीयं क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर अप्रार्थीगण अदा नही कर सकेंगे एवं उकत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त मुतनाजा जमीन में कब्जा करने व बिना बंटवाड़ा किए ही बैचान, रहन, वसीयत आदि करने से एवं कच्चा एवं पक्का निर्माण कार्य करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सायलान व गैरसायलान की सामलाति है तथा मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है। लेकिन सायलान द्वारा पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नही है। सायलान ने गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है। गैरसायलान ने मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरुप नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है, जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादग्रस्त आराजी बस्सी से लाम्बिया जाने वाली सड़क पर आयी हुई है तथा सायलान एवं गैरसायलान दोनो की खरीद शुदा भूमि है जिस पर वक्त खरीद [illegible] पर काबिज है। सायलान का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हिस्सा रेवेन्यु [illegible] गलती से ज्यादा इन्द्राज हो गया है वर्तमान में सायलान संख्या 01 सुगना[illegible] हिस्सा जमाबंदी के अनुसार 1/6 तथा सायलान संख्या 02 संतोष पत्नी सुगनाराम का 1/3 हिस्सा इन्द्राज है। जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 777/1 रकबा 0.8256 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में सायलान संख्या 01 सुगनाराम का हिस्सा 1/6 के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:51:29 IST
Reason: SelfAttested

1/4 होना चाहिए तथा सायलान संख्या 02 संतोष पत्नी सुगनाराम का हिस्सा 1/3 के स्थन पर 1/6 वां हिस्सा इन्द्राज होना चाहिए था। इस प्रकार गैरसायलान संख्या 01 का हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 1/12 हिस्सा इन्द्राज किया गया है जबकि गैरसायलान संख्या 01 का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 5/57 व 1/6 के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा इन्द्राज किया जाना चाहिए था। इसलिए सायलान का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा इन्द्राज हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर ही वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। सायलान का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अधिक चढा हुआ है जिसका नाजायज फायदा उठाने की नियत से सायलान बंटवाड़ा करवाना चाहते है क्योकि सायलान को यह जानकारी है कि रेवेन्यु रेकर्ड में हमारा हिस्सा अधिक है इसलिए हमें अधिक हिस्सा मिल जायेगा, इसलिए सायलान बंटवाडा करवाना चाहते है। अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार सायलान का हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाकर दिया जाता है तो गैरसायलान के हिस्से की जमीन कम हो जायेगी जिससे गैरसायलान को असीम हानि होगी जिसका मूल्यांकन किसी कदर संभव नही हो सकेगा। सायलान ने क्लीन हैण्डस से प्रार्थना पत्र पेश नही किया है तथा सायलान की नियत खराब है सायलान अपने हिस्से से अधिक भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहते है। मुतनाजा भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी नही है बल्कि खरीदशुदा है तथा मुतनाजा भूमि सायलान की खरीदसुदा होने के कारण एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सायलान का हिस्सा अधिक चढा हुआ होने के कारण सायलान की बजाय उतरदाता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा वादीगण एवं उतरदाता मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होने से सुविधा का संतुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान की बजाय गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है। यदि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत हिस्से अनुसार किसी प्रकार से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी सायलान की बजाय गैरसायलान को होना सुनिश्चित है तथा गैरसायलान अपेन हक हिस्से व साम्पैतिक अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है। सायलान द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बन्टवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 777/1 रकबा 0.8256 हैक्टेयर अर्थात् 05-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:31:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहखातेदारी आराजी है, जिसके कानूनन बंटवाड़े बाबत् वाद न्यायालय हाजा में जेरकार है। सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला निहित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:51:29 IST
Reason: SelfAttested